अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज

बइजलास डॉ.नरेश सोनी, आर.ए.एस

<u>वादीगण:–</u>

1.–सुमित्रापुरी धर्मपत्नि स्वर्गीय नरेन्द्रपुरी,जाति–गोस्वामी

2.–सुश्री तेजस्वीनी पुत्री नरेन्द्रपुरी,जाति–गोस्वामी, नाबालिग जरीये कुदरती वली माता सुमित्रापुरी धर्मपत्नि स्वर्गीय नरेन्द्रपुरी,जाति–गोस्वामी,निवासी–शिवंगज तहसील–शिवंगज, जिला–सिरोही (राज.) हाल जोधपुर

बनाम

<u>प्रतिवादीगण–</u>

1.–भंवरपुरी पुत्र श्री रघुनाथपुरीजी,आयु–बालिग,जाति–गोस्वामी (दिनांक 29–11–2015 को मृत्यु होने से नाम डिलीट)

2.–मोहनीदेवी धर्मपत्नि भंवरपुरी,जाति–गोस्वामी

3.–भुपेन्द्रपुरी पुत्र भंवरपुरी,जाति–गोस्वामी,निवासीगण–शिवंगज तहसील–शिवंगज जिला–सिरोही (राज.)

4.–सुमित्रापुरी पुत्री भंवरपुरी पत्नि दिनेशपुरी,जाति–गोस्वामी,निवासी–नारलाई तहसील–देसुरी जिला–पाली हाल निवासी–सुभाषनगर शिवंगज तहसील–शिवंगज जिला–सिरोही (राज.)

5.–कोशल्या पुत्री भंवरपुरी पत्नि मुकेशपुरी,जाति–गोस्वामी,निवासी–देसुरी तहसील–देसुरी जिला–पाली (राज.)

6.–सरफराज खान पुत्र असलमखान,जाति–मुसलमान,निवासी–वर्धमान कॉलोनी शिवंगज, तहसील–शिवंगज जिला–सिरोही (राज.)

7.–राजस्थान सरकार जरीये भूमिधारी तहसीलदार शिवंगज ।

<u>उपस्थिति:–</u>

1. **श्री हिम्मत धनेरा : अधिवक्ता वादीगण की ओर से**
2. **श्री मोहब्बतसिंह देवडा : अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या 126/2012

–::निर्णय/आदेश::–

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.)

दिनांक 04.04.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया कि वादग्रस्त भूमि मौजा बडगांव तहसील–शिवंगज जिला–सिरोही के खसरा नम्बर 31/1 रकबा 2–10 बीघा व खसरा नम्बर 33/1 रकबा 12–10 बीघा कुल रकबा 15–00 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 भंवरपुरी के नाम की पुश्तैनी खातेदारी आराजी आई हुई स्थित है जो भूमि भंवरपुरी को भाई बन्ट में अपने पिता से प्राप्त हुई तथा वादी के पति का दुर्घटना में देहान्त होने से प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 वादीगण [illegible] से निकालना चाहते है व भूमि की पैदावार का बन्ट भी नहीं दे रहे है जिससे [illegible] से काश्त करना असभंव हो गया है तथा वादीगण का उक्त भूमि पर पुश्तैनी हक अधिकार है तथा भंवरपुरी के जिन्दा रहते वादीगण का नाम उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में नहीं आ सकता जिसके [illegible] में प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि को बेचान या खुर्द बुर्द करने पर आमदा है तथा [illegible]गण मिलकर वादीगण के हक अधिकार को हडप करने के उद्देश्य से उक्त कृषि आराजी भूमि को बेचान करने पर आमदा है तथा वादीगण द्वारा उपरोक्त कृषि आराजी भूमि पुश्तैनी होने से वादीगण को खातेदार घोषित कर विभाजन एवं सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिकी जारी किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.08.03 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested

..................लगातार पेज–2

प्रतिवादीगण की ओर से उक्त वादपत्र का जवाबदावा पेश कर कथन किया कि विवादग्रस्त कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 31/1 रकबा 02–10 बीघा व खसरा नम्बर 33/1 रकबा 12–10 बीघा कुल रकबा 15–00 बीघा कृषि भूमि भंवरपुरी की पुश्तैनी कृषि आराजी भूमि नहीं है। खसरा संख्या 31 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा व खसरा संख्या 33 रकबा 33 बीघा 12 बिस्वा कृषि आराजी भूमि तहसील के आदेश क्रमांक 1881 दिनांक 29–03–1961 के अनुसार रघुनाथपुरी पुत्र गेनपुरी, सज्जनपुरी पुत्र रघुनाथपुरी व भंवरपुरी पुत्र रघुनाथपुरी के नाम से आवंटित हुई थी जिसमें तीनो खातेदार का समान हिस्सा होने से व आपसी बन्टवाडा होने से उपरोक्त कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 31/1 रकबा 2–10 बीघा व खसरा नम्बर 33/1 रकबा 12–10 बीघा कुल रकबा 15–00 बीघा कृषि भूमि भंवरपुरी की पुश्तैनी कृषि आराजी भूमि नहीं होकर स्वअर्जित कृषि आराजी भूमि है। तथा वादग्रस्त कृषि आराजी भूमि पर भंवरपुरी ही काबिज है तथा भंवरपुरी के जीवित रहते वादीगण को उक्त कृषि आराजी भूमि में कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है जिससे उन्हें बेदखल करने का कथन गलत है व वादीगण का उक्त कृषि आराजी भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है। जिससे घोषणात्मक व बन्टवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने का वादीगण को कोई हक अधिकार नही है व न ही उक्त वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई वादकारण पैदा होता है जिससे वादीगण का उक्त वाद खारीज करने का निवेदन किया।

प्रकरण में विवाद्यक बिन्दु विरचित करने के पश्चात वादीगण द्वारा उपरोक्त विवादित कृषि आराजी भूमि के खरीददार सरफराज खान को प्रतिवादी पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सीप्रस्तुत करने से न्यायालय द्वारा खरीदकर्ता सरफराज खान को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया जिस पर वादीगण द्वारा उक्त वाद में संशोधित शीर्षक पेश किया तथा प्रकरण के विचारण के दौरान प्रतिवादी भंवरपुरी का देहान्त होने से उनका नाम डिलीट किया गया। तथा प्रतिवादी भुपेन्द्रपुरी पुत्र भंवरपुरी जाति गोस्वामी निवासी शिवंगज की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर वादीगण का उपरोक्त वाद विधि के प्रावधानो से वर्जित होने से खारीज किये जाने का निवेदन किया तथा अपने उक्त प्रार्थनापत्र में प्रतिवादीगण ने वर्णित किया कि वादग्रस्त भूमि मौजा बड़गांव तहसील–शिवंगज जिला–सिरोही के खसरा नम्बर 31/1 रकबा 2–10 बीघा व खसरा नम्बर 33/1 रकबा 12–10 बीघा कुल रकबा 15–00 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पति/पिता भंवरपुरी की खातेदारी की आई हुई थी तथा उपरोक्त कृषि आराजी भूमि तहसील के आदेश क्रमांक 1881 दिनांक 29–03–1961 के अनुसार रघुनाथपुरी पुत्र गेनपुरी, सज्जनपुरी पुत्र रघुनाथपुरी व भंवरपुरी पुत्र रघुनाथपुरी के नाम से आवंटित हुई थी जिसमें तीनों खातेदार का समान हिस्सा होने से व आपसी बन्टवाडा होने से उपरोक्त कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 31/1 रकबा 2–10 बीघा व खसरा नम्बर 33/1 रकबा 12–10 बीघा कुल रकबा 15–00 बीघा भंवरपुरी को प्राप्त हुई थी जिस पर वह अपने जीवनकाल में स्वतंत्र रूप से काबिज थे तथा उक्त कृषि आराजी भूमि भंवरपुरी को उनके पिता रघुनाथपुरी से प्राप्त नहीं हुई जिससे उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी सम्पति नहीं थी बल्कि उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति (self earned Property) थी तथा उनकी उक्त स्वअर्जित सम्पत्ति (self earned Property) सम्पति को बेचान [illegible] रहन बधक इत्यादि के उक्त राजस्व आराजी से सम्बन्धित समस्त हक अधिकार विधिक तौर से भं[illegible]हित थे ओर भंवरपुरी ने अपने जीवनकाल में ही अपने स्व[illegible] में [illegible] का बेचान जरीये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के सरफराज [illegible] (self earned Property) का निस्तारण कर दिया था। वाद में वर्णित कृषि आराजी भूमि से सम्बन्धित हक अधिकारो बाबत स्व0 भंवरपुरी की निर्वसीयती मृत्यु होने पर उ[illegible] आराजी में प्रतिवादीगण को कोई खातेदारी हक अधिकार प्राप्त नही हुये है और उक्त खातेदारी आराजी भूमि प्रतिवादीगण को स्व. भंवरपुरी के उत्तराधिकारी होने के नाते प्राप्त नहीं हुई है।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.08.03 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested

..................लगातार पेज–3

तथा भंवरपुरी की मृत्यु के वक्त उक्त खातेदारी आराजी भूमि उनके नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही थी। उसका बेचान पूर्व में उनके जीवनकाल में ही कर दिया था। जिससे वर्तमान में वादीगण प्रतिवादीगण से बतौर उत्तराधिकारी के उक्त आराजी भूमि प्राप्त नहीं कर सकते है। व उपरोक्त कृषि आराजी भूमि स्व0 भंवरपुरी की स्वअर्जित सम्पत्ति (self earned Property) थी। जिसका उन्होंने अपने जीवनकाल में अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने के अधिकार स्वंय में निहित होने से उनके जीवनकाल में भी उपरोक्त आराजी का विभाजन या खातेदारी अधिकारो की घोषणा करने के लिये कोई वाद प्रस्तुत करने का अधिकार किसी भी पक्ष को नही था। तथा वादीगण ने उक्त विवादित कृषि आराजी भूमि को पुश्तैनी बताया है लेकिन उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी नही होने से वादीगण विधिक रूप से किसी भी तरह का कोई हक हिस्सा अधिकार प्रतिवादीगण से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है क्योंकि स्व. भंवरपुरी की निर्वसीयती मृत्यु होने से पुर्व ही उक्त सम्पत्ति का निस्तारण कर बेचान कर दिया था। और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत या अन्य किसी भी विधि के तहत कोई व्यक्ति की निर्वसीयती मृत्यु होने के बाद कोई सम्पत्ति छोड़ता है तो उसके वारीसान उक्त सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी होते है लेकिन उपरोक्त वादपत्र में वर्णित विवादित कृषि आराजी भूमि को निर्वसीयती छोडकर स्व. भंवरपुरी की मृत्यु नहीं हुई थी उन्होंने पूर्व में ही उक्त कृषि आराजी भूमि को बेचान कर दिया था। जिससे वादीगण का उक्त वाद विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से विधि द्वारा वर्जित है। व वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वादपत्र उपरोक्त परिरिस्थितियो में व वाद में वर्णित कथनो से वादीगण को कोई वादहेतुक प्रकट नहीं होता है। जिससे वादीगण का उक्त वाद खारीज फरमावे।

वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का जबाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि आराजी भूमि भंवरपुरी की खातेदारी आराजी भूमि थी जो भूमि संयुक्त परिवार को आवंटन हुई थी तथा वक्त अलोटमेंट भंवरपुरी नाबालिग था। तथा बाद बंटवाड़ा भंवरपुरी स्वतंत्र खातेदार हुआ, जिससे उक्त भूमि पुश्तैनी है तथा भंवरपुरी की मृत्यु के पहले ही दावा विचाराधीन रहने के दौरान सरफराज खान को बैचान कर दी थी, जबकि उन्हें बेचान करने का अधिकार नहीं था व सुश्री तेजस्वीनी भंवरपुरी की पौत्री है जिसका अधिकार उक्त भूमि में जन्म से है, जिससे नाबालिग की भूमि बेचान नहीं कर सकता। तथा दावा घोषणात्मक है, वादीगण को दावा करने का पुरा अधिकार है। उक्त भूमि भंवरपुरी को उसके पिता से मिली है। व आपसी बन्टवाड़ा चारो भाइयों के मध्य हुआ था। तथा भंवरपुरी को उक्त कृषि आराजी भूमि सयुक्त परिवार के आपसी बन्टवाडे से प्राप्त हुई है। जो पैतृक सम्पत्ति है। तथा वक्त आवंटन भंवरपुरी नाबालिग था व पिता रघुनाथपुरी व भाई के साथ आंवटन हुई थी नाबालिग होने से आवंटन गलत है। तथा भंवरपुरी की उक्त सम्पत्ति स्वअर्जित सम्पत्ति नही होकर पुश्तैनी सम्पत्ति है। जिससे संयुक्त परिवार के सभी सदस्यो का समान हक अधिकार है। जिससे पिता के जीवनकाल में ही पुत्र या पुत्री को बन्टवाडा व खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत कर सकते है। जिसका निर्धारण साक्ष्य के दौरान होगा तथा भंवरपुरी की उक्त कृषि आराजी होने पर तेजस्वीनी (पोत्री) का पुर्ण हक अधिकार है। उसके लिये उक्त भूमि पैतृक है। जिससे वादीगण को वादपत्र प्रस्तुत करने का हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत संवैधानिक अधिकार है व प्रतिवादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र किसी भी तरह से विधि द्वारा वर्जित नहीं है व वादीगण [illegible] पेश करने का वादीगण को वाद हेतुक प्रकट होता है। जिससे प्रतिवादीगण का [illegible] पत्र विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से खारीज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रार्थनापत्र [illegible] उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री मोहब्[illegible] सिंह देवडा ने अपनी बहस में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में उल्लेखित तथ्यों को दर्शाते हुये दलील दी कि वादग्रस्त कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 31/1 रकबा 2-10 बीघा व खसरा नम्बर 33/1 रकबा 12-10 बीघा कुल रकबा 15 बीघा कृषि भूमि भंवरपुरी की पुश्तैनी कृषि आराजी भूमि नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2025.08.03 16:03:08 IST
Reason: Self Attested

.................लगातार पेज-4

उक्त कृषि आराजी भूमि भंवरपुरी की स्वअर्जित सम्पत्ति थी जो उन्हे आवंटित होकर बन्टवाडे में प्राप्त हुई थी जिससे उन्हें उक्त सम्पत्ति बेचान इत्यादि करने के तमाम हक अधिकार निहित थे जिससे उन्होनें अपने जीवनकाल में ही दिनांक 22–10–2014 को वर्णित आराजी भूमि का बेचान सरफराजखान को कर निरस्तारण कर दिया था चुंकि भंवरपुरी की मृत्यु के वक्त उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी भूमि उनके नाम से दर्ज नहीं थी। व इस सूरत में निर्वसीयती भंवरपुरी की मृत्यु के समय वादीगण सुमित्रापुरी व अन्य के हक उत्पन्न नहीं होते है क्योंकि उक्त सम्पत्ति का निस्तारण भंवरपुरी ने अपने जीवनकाल में ही कर दिया था तथा उक्त कृषि आराजी भूमि भंवरपुरी की मृत्यु के वक्त उनके नाम से दर्ज नहीं थी जिससे उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान भी लागू नहीं होते है। इन परिरिथतियो में वादीगण का उक्त वाद विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से विधि द्वारा वर्जित है। तथा वाद निरर्थक है। इन तमाम कारणों से वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया वाद हेतुक प्रकट नहीं होने से वाद खारीज करने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा यह दलील भी दी गई कि वादीगण ने जिला न्यायालय में उक्त सम्पत्ति को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति बताते हुये बन्टवाडा व स्थगन चाहा था जिसे भी माननीय जिला न्यायालय द्वारा खारीज किया गया। जिसकी अपील वादीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश करने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा S.B.Civil Misc Appeal 1472/2022 बअनवान तेजस्वनी बनाम मोहनीदेवी वगैरा में भी पारीत निर्णय दिनांक 01–02–2023 में भी उपरोक्त वादग्ररस्त सम्पत्ति को भंवरपुरी की स्वअर्जित सम्पत्ति माना है जिसमें वादीगण का किसी तरह का कोई हक अधिकार उत्पन्न होना नहीं माना है तथा पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थनापत्र के आदेश में भी उक्त सम्पत्ति को भंवरपुरी की स्वअर्जित सम्पत्ति होना साबित मानकर वादीगण का प्रार्थनापत्र खारीज किया था, जिसके निर्णय के विरूद्ध वादीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी पाली व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश करने पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी पाली व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति को भंवरपुरी की स्वअर्जित सम्पत्ति मानकर वादीगण की अपील खारीज की थी जिन निर्णय के विरूद्ध वादीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष रिट पेश करने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा S.B.Civil Writ Petition 14533/2019 में भी पारीत निर्णय में उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति को भंवरपुरी की स्वअर्जित सम्पत्ति मानकर वादीगण की अपील खारीज की थी जिस आदेश के विरूद्ध वादीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय D.B. के समक्ष अपील पेश करने पर वादीगण की अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सारहीन होने से खारीज की गई एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

1.–R.R.T 2021 केदारमल शर्मा व अन्य बनाम जगदीश व अन्य में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2021 को पारीत निर्णय की प्रति ।

2.– 2009 (1) DNJ Page 279 बअनवान अब्दुल वसी बनाम अब्दुल कादिर

3.–2015 DNJ(SC) Page 50 बअनवान वेद मित्र बनाम धर्मेन्द्र वर्मा

4.–2016 DNJ(SC) Page 258 बअनवान [illegible]

5.–2021 (2) DNJ(Raj) Page 380 बअनवान मोहनल... वगै... बनाम हनुमानसिंह वगैरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.08.03 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त पेश किये जिनमें प्रतिपादित सिद्धान्तो के अनुसार पुत्र/पुत्री पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में किसी भी प्रकार का कोई हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा उपरोक्त दलीलो व न्यायिक दृष्टान्तो के आधार पर वादीगण का उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारीज करने का निवेदन किया।

..................लगातार पेज–5

इसके विपरीत अधिवक्ता प्रतिवादीगण की दलीलो का खण्डन करते हुये अधिवक्ता वादीगण श्री हिम्मत धनेरा ने दलील दी कि वादग्रस्त आराजी भूमि पुश्तैनी है तथा वादी संख्या 1 स्व. नरेन्द्रपुरी की पत्नि व वादी संख्या–2 स्व. नरेन्द्रपुरी की पुत्री है तथा वादी संख्या–1 के रघुनाथपुरी के परिवार में नरेन्द्रपुरी के साथ विवाह होते ही रघुनाथपुरी के संयुक्त हिन्दु परिवार की उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी भूमि में विधिक हक अधिकार उत्पन्न होते है। जिससे उक्त वाद में स्पष्ट वाद हेतुक उत्पन्न होता है तथा घोषणा का वाद रेवेन्यू कोर्ट ही तय करता है पुश्तैनी संपत्ति होने पर पुत्र/पुत्री पिता की संपत्ति का बंटवाडा करवा सकते है। वादपत्र के साथ जो आवंटन आदेश पेश किया है वो सन 1961 में हुआ था। दादा की संपत्ति में पोता व पोती का पैदा होते ही अधिकार उत्पन्न जो जाता है और वादी सं0 2 भंवरपुरी की पौत्री है। भंवरपुरी को आवंटन व नियमन गलत हुआ है। वादग्रस्त आराजी के खसरा नं0 31 रकबा 11–07 बीघा एवं खसरा नं0 33 रकवा 33–12 बीघा संवत् 2013 से 2016 बिलानाम थी तथा संवत् 2018, 2019 व 2020 में रघुनाथपुरी पुत्र गैनपुरी के नाम अकेला है तथा खसरा गिरदावरी के अनुसार संवत् 2019 को नियमन /आवंटन हुई थी। तथा बाद सज्जनपुरी व भवंरपुरी के नाम गलत रूप से दर्ज करवाया गया है। तथा संवत् 2025 से 2028 में गैर खातेदार दर्ज हुए है। सन् 1959–1960 भंवरपुरी नाबालिग होने से पिता के साथ भूमि नियमन, पुश्तैनी भूमि मानकर नियमन हुई तथा भंवरपुरी का जन्म 8.9.1941 को हुआ था। जिससे ये वक्त नियमन नाबालिग थे। रघुनाथपुरी पुत्र गैनपुरी ने रजिस्टर्ड वसीयतनामा में स्पष्ट लिखा है कि मेरी पुश्तैनी भूमि है तथा भूमि आवंटन के समय भंवरपुरी नाबालिग था। तथा मैनें उसके नाम से आवंटन करवायी थी। उक्त विवादग्रस्त कृषि आराजी भूमि पुश्तैनी है या स्व अर्जित है यह बिन्दु साक्ष्य में तय होगा अतः बिना साक्ष्य लिये प्रतिवादी का उक्त प्रार्थनापत्र इस स्टेज पर कानूनन परिपोषणीय नहीं होने प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र खारीज करने का निवेदन किया तथा उन्होनें बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

1–R.R.T (1) 2012 Page 46 लिकमाराम व अन्य बनाम बिरबल व अन्य।
2–R.R.T (2) 2010 Page 1336 भागीरथ बनाम हडमानाराम व अन्य।
3.–R.J.T 2019 Part 2 Page 1393 पवनकुमार बनाम बाबूलाल के वारिसान।
4.–R.J.T 2023 Part 1 Page 352 जयसिंह बनाम प्रकाश व अन्य।
5.– R.R.T 2023(1) Page 372 धनराज व अन्य बनाम रतनकुमार अग्रवाल व अन्य।
6.– R.R.T 2013(1) Page 356 नाथूराम सेठ बनाम पूनम सेठ।
7.– R.J.T Part 2-2017 Page 1429 परमप्रितसिंह बनाम किरणजीत कौर।
8.– R.R.T 2010(1) Page 181 अशरफ बनाम अकलव वगैरह।
9.– R.R.T 2015(1) Page 474 मोडूराम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू।
10.–R.R.T 2015(1) Page 100 महेन्द्रसिंह बनाम मूर्तीदेवी।
11.– R.R.T 2017 (1) Page 605 अजयसिंह बनाम सोमती।
12. R.J.T Part 2-2017(1) Page 1100 प्रेमदेवी झंझारी बनाम पवनकुमार।
13.– R.R.T 2011 (2) Page 1395 शमीमबानो बनाम नेक मोहम्मद।
14.– R.R.T 2014-2015 Page 596 महेन्द्रसिंह बनाम मूर्तीदेवी।

हमने प्रार्थना पत्र में [illegible] की बहस तथा वकुलाय द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन कि[illegible] प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य यह है कि वादग्रस्त कृषि आराजी [illegible] 31 [illegible] 11 बीघा 7 बिस्वा व खसरा संख्या 33 रकबा 33 बीघा 12 [illegible] के आदेश कमांक 1881 दिनांक 29–03–1961 के अनुसार [illegible]पुरी, सज्जनपुरी पुत्र रघुनाथपुरी व भंवरपुरी पुत्र रघुनाथपुरी के नाम से आवंटित हु[illegible] जिसमें तीनों खातेदार का समान हिस्सा होने से व आपसी बन्टवाडा होने से उपरोक्त कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 31/1 रकबा 2–10 बीघा व खसरा नम्बर 33/1 रकबा 12–10 बीघा कुल रकबा 15–00 बीघा की कृषि भूमि भंवरपुरी के हिस्से बन्ट में रही

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.08.03 16:03:08 IST
Reason: Self Attested

..................लगातार पेज–6

तथा पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजी साक्ष्यों, आंवटन आदेश के आधार पर हुये नामान्तरण व जमाबन्दी से यह स्वीकार्य तथ्य है कि उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी भूमि भंवरपुरी की **आवंटनशुदा सम्पत्ति** है तथा खातेदार भंवरपुरी ने अपने जीवनकाल में ही उक्त कृषि आराजी भूमि दिनांक 22–10–2014 को सरफराज खान को जरीये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचान कर उक्त कृषि आराजी भूमि का निरतारण कर दिया था। जिससे वादग्रस्त भूमि सरफराज खान के नाम से दर्ज हुई। वादीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकरण पाली में दर्ज अपील सं0 03/2015 सुमित्रापुरी व अन्य बनाम भंवरपुरी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2015 में अपील को खारिज किया गया है। व **माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दर्ज निगरानी टीए सं0 6039/2015 बअनवान सुमित्रापुरी व अन्य बनाम भंवरपुरी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2019 में स्पष्ट निर्णय में दर्शित किया गया है कि "प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है तथा उक्त विवादित आराजी तहसीलदार शिवगंज के आदेश दिनांक 29.03.1961 से रघुनाथपुरी, सज्जनपुरी एवं भंवरपुरी को समान हक अनुसार आंवटित हुई। विवादित आराजी को प्रथम दृष्टया पेत्रिक भूमि होना प्रमाणित नहीं होता"** व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एसबीसिविल मिस अपील नं0 1472/2022 तेजस्वीनी व अन्य बनाम मोहिनीदेवी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.02.2023 में भी स्पष्ट आदेश दिया गया है कि "Further, even the trial court has teached to a specific conclusion that there is no primafaci evidence available on record to even suggest that the agricultural property is ancestral on the contrary, allotment order of the year 1961 in favoure of Bhawarpuri, Raghunath puri and Sajjanpuri has not been denied by the defendants which fact itself establishes prima facie that the property is self acquired" अतः माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त कृषि आराजी भूमि भंवरपुरी की पुश्तैनी सम्पत्ति (Ancestral Property) नहीं मानकर self acquired Property मानकर खारीज की है।

इसी प्रकार अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से पेश न्यायिक दृष्टान्त केदारमल शर्मा व अन्य बनाम जगदीश व अन्य में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2021 को पारीत निर्णय के पद संख्या–9 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार काल्पनिक रूप से वाद कारण उत्पन्न कर न्यायिक प्रकीया का दुरूप्योग की मंशा से वाद प्रस्तुत होने पर न्यायिक दृष्टान्त आर.एल.डब्लु 2008(2) राज. पेज नम्बर 1390 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार जहां वाद हेतुक उत्पन्न ही नहीं हुआ अथवा काल्पनिक रूप से वाद कारण उत्पन्न कर न्यायिक प्रकीया के दुरूप्योग से वादकारण उत्पन्न किया जा रहा हो वहां पर न्यायालय लाचार व असहाय नहीं है। न्यायालय धारा 151 सी.पी.सी. की शक्तियों का प्रयोग कर वाद को निरस्त करने में सक्षम है। उपरोक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों व [illegible] के आधार पर उपरोक्त वादीगण को उक्त वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है तथा अधिवक्ता वादीगण द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण पूर्णरूपेण चस्पा नहीं होते है। तथा साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 94 के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य को मौखिक कथनों या साक्ष्यों के आधार पर मिटाया नहीं जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.08.03 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested

..................लगातार पेज–7

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 126/2012
अनवान सुमित्रापुरी वगैरा बनाम मोहनी देवी वगैरा
वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरोक्त विवेचन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है, कि उक्त परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद पोषणीय नहीं है। वादी पक्ष की और से प्रस्तुत माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान हैं, लेकिन उक्त प्रकरण की प्रकृति पर पूर्णतया चस्पा नहीं होते हैं ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 03 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 03 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद विधि से वर्जित होने व पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता हैं। वादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि आराजी भूमि मौजा बड़गांव तहसील–शिवंगज जिला–सिरोही के खसरा नम्बर 31/1 रकबा 2–10 बीघा व खसरा नम्बर 33/1 रकबा 12–10 बीघा कुल रकबा 15–00 बीघा के सम्बन्ध में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खातेदार घोषणा व विभाजन व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का उक्त वाद खारीज किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करे। निर्णय/आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश/निर्णय आज दिनांक 04.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

डॉ. नरेश सोनी
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)
(उपखण्ड अधिकारी) शिवंगज

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.08.03 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested